उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग-1

संख्या-13/2024/आडिट-1-113/दस-2024-320(1)/2023

लखनऊ ; दिनांक : 28 जून, 2024

विज्ञप्ति/तैनाती

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के अनुसार सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत श्री सुजीत कुमार शर्मा, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक (वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रूपये 56,100 से 1,77,500/-) के पद पर नियमित रूप से पदोन्नति प्रदान करते हुए शासन के विज्ञप्ति/तैनाती आदेश संख्या-I/517332/2024 दिनांक 12.03.2024 द्वारा जनपद उरई, जालौन में तैनात किया गया था।

2- उक्त शासन की विज्ञप्ति/तैनाती आदेश संख्या-I/517332/2024 दिनांक 12.03.2024 द्वारा जनपद उरई, जालौन में की गयी तैनाती को संशोधित करते हुए श्री सुजीत कुमार शर्मा को, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, चन्दौली के रिक्त पद पर तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा पदस्थापित/तैनात किया जाता है।

3- उक्त अधिकारी को अगले माह का वेतन उनकी नवीन तैनाती स्थान से आहरित होगा।

समीर

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित उप निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ0प्र0।
4. उप सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
5. सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित अधिकारीगण।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

समीर

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।